



छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(क्रेडा)

प्रधान कार्यालय—व्ही.आई.पी. रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम—फुण्डहर, रायपुर (छ.ग.)

डब्ल्यू.एल.एल. नं. 8370009925 / 27 • ई-मेल: contact.creda@gov.in • वेबसाइट: www.creda.co.in

क्र./ 944 / CREDA / HOR / RE-03 / Reg-2023-24,

रायपुर दिनांक. 25/04/2023

- / / परिपत्र / / -

विषय:- वर्ष 2023-24 में सिस्टम इंटीग्रेटर/वेण्डर/कांट्रेक्टर के रूप में पंजीयन/नवीनीकरण हेतु पंजीयन शुल्क एवं ई.एम.डी. राशि के संबंध में।

सिस्टम इंटीग्रेटर/वेण्डर/कांट्रेक्टर के रूप में वर्ष 2023-24 में पंजीयन/नवीनीकरण हेतु पंजीयन शुल्क एवं ई.एम.डी. राशि क्रेडा प्रबंधन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार रहेंगी:-

Registration and Document Fees

S. No.	Particular	Registration Fee (Non Refundable)	Document Fee (Non Refundable)	GST@18% (3+4)	Total
1	2	3	4	5	6
1	New System Integrator	Rs. 1,00,000.00	Rs. 1,000.00	Rs. 18,180.00	Rs. 1,19,180.00
2	Graduate Engineers of CG State only for SI	Rs. 40,000.00	Rs. 1,000.00	Rs. 7,380.00	Rs. 48,380.00
3	Vendor	Rs. 1,00,000.00	Rs. 1,000.00	Rs. 18,180.00	Rs. 1,19,180.00
4	Civil/ Electrical Contractor	Rs. 50,000.00	Rs. 1,000.00	Rs. 9,180.00	Rs. 60,180.00
5	SI in case of Solar Thermal Systems	Rs. 10,000.00	Rs. 1,000.00	Rs. 1,980.00	Rs. 12,980.00

Earnest Money Deposit (EMD)

S. No.	Particular	Amount
1	System integrator	Rs 5,00,000.00
2	Vendor	Rs 5,00,000.00
	i) For Items: - Luminary, Pipe, Street Light, PDN Material, ACDB, DCDB/Charge Controller, Earthing Kit ii) For Items: - Pump, Solar Module, Battery, Inverter, Tank, Structure, Pump Controller.	Rs 10,00,000.00
3	Civil / Electrical Contractors	Rs 1,00,000.00
4	Solar Thermal Systems	Rs 1,00,000.00

EMD Refundable after five year from the Date of last System Installed/Supplied

Renewal for all S.I. /Vendor / Contractor Category (SPV System) (in Rs.)				
S. No.	(For One Year)	(For Five Year)	(For ten Year)	
1	Renewal Fees	50000	247500*	490000*
2	Document Fees	1000	1000	1000
3	GST@18%	9180	44730	88380
	Total	60180	293230	579380

* 1% & 2% Rebate for 5 Year & 10 Year respectively.

पूर्व से पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर/वेण्डर/कांट्रेक्टर के नवीनीकरण के प्रकरण में उक्तानुसार ई.एम.डी. राशि पूर्व में जमा ई.एम.डी. राशि को घटाते हुये अंतर की राशि जमा किये जाने पर ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुमोदन अनुसार)

(बी.बी. तिवारी)

अधीक्षण अभियंता (RE-03)

रायपुर दिनांक. 25/04/2023

क्र./ 945 / CREDA / HOR / RE-03 / Reg-2023-24,

प्रतिलिपि:- (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

- नियंत्रक वित्त एवं लेखा, क्रेडा प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता, क्रेडा जोनल कार्यालय,।
- कार्यपालन अभियंता, क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय,।
- सहायक अभियंता/ जिला प्रभारी।
- श्री बेन्नी सी.ए. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर को क्रेडा के वेब-साइट में अपलोड कराये जाने हेतु।

अधीक्षण अभियंता (RE-03)

Truth is One, Paths are many : Mahatma Gandhi

“ स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाये ”